राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

अत्यावश्यक
नगरपालिका उप चुनाव, 2023

पत्र संख्या—न0नि0 50—17/2023— 4040

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी—सह—
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका),
पटना, कैमूर, नालन्दा, सारण, वैशाली, गया, पूर्वी चम्पारण,
पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधेपुरा, एवं अररिया।

पटना, दिनांक —30 **नवम्बर, 2023**

विषय :— नगरपालिका उप निर्वाचन, 2023 : निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने के निमित्त सभी आवश्यक तैयारी करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कतिपय कारणों यथा मृत्यु, त्यागपत्र एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 18 (1) के प्रावधानों के तहत निरर्हित किये जाने या अन्य कारणों से उत्पन्न रिक्त पदों पर आयोग द्वारा जनवरी, 2024 के प्रथम सप्ताह में नगरपालिका उप निर्वाचन सम्पन्न कराया जाना संभावित है। विदित है कि रिक्त पदों पर निर्वाचन कराने के निमित्त मतदाता सूची के तैयारी का कार्य किया जा रहा है।

निर्वाचन के पूर्व पूर्ण तैयारी के संबंध में आयोग द्वारा निम्नांकित निदेश दिये गये हैं :—

(क) संबंधित जिला में नगरपालिका आम/उप निर्वाचन से संबंधित सभी आवश्यक तैयारी यथा—अनुमोदित मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन, नाम निर्देशन हेतु विभिन्न प्रपत्रों का मुद्रण एवं स्थल का चयन, नाम निर्देशन पत्र की विक्रय हेतु नाजीर रसीद, नाम निर्देशन प्राप्त करने हेतु आदेश निर्गत करना, सहायक निर्वाची पदाधिकारी का प्रस्ताव, विभिन्न कोषांगों का गठन एवं मतदान केन्द्रों पर आवश्यक मूलभूत सुविधा सुनिश्चित करना, मतदान कर्मियों के डिस्पैच हेतु स्थल चयन, वाहनों की आवश्यकता का आकलन, कम्यूनिकेशन प्लान, मतगणना स्थल का चयन आदि सुनिश्ति कर ली जाय।

(ख) सभी पदों पर मतदान ई.वी.एम. के माध्यम से कराये जायेंगे।

(ग) निर्वाचन हेतु मतदान दिनांक 05.12.2023 को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची एवं उस क्षेत्र विशेष के लिए स्थापित (आयोग से अनुमोदित) मतदान केन्द्र पर ही कराये जायेंगे।

(घ) नगरपालिका आम निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु राज्य सरकार से अधिसूचना निर्गत होते ही संबंधित नगरपालिका निर्वाचन क्षेत्र में तथा जहाँ उप निर्वाचन कराया जाना है वहाँ संबंधित वार्ड में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता लागू हो जायेंगे, जो मतगणना के पश्चात विधिवत रूप से परिणाम घोषणा होने तक लागू रहेंगे।

(ङ) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर निर्गत दिशा—निर्देशों के आलोक में निर्वाचन सम्पन्न कराया जायेगा। संबंधित सभी दिशा—निर्देश आयोग के वेबसाईट sec.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। किसी प्रकार की संशय की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन प्राप्त की जायेगी। जिसमें महत्वपूर्ण दिशा—निदेश निम्नवत् हैं :—

पत्रांक/दिनांक	विषय
1. 2986/02.08.2022 —	निर्वाचन प्रक्रमों का निर्धारण एवं नामांकन/संवीक्षा/अभ्यर्थिता वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने आदि से संबंधित अनुदेश।
2. 1450/06.05.2023 —	निमित्त जिलों में विभिन्न कोषांग गठित करने के संबंध में

3. 1579 / 11.05.2023 — नाम निदेर्शन के संबंध में दिशा—निदेश

4. 1623 / 13.05.2023 — मतदान के दिन मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के संबंध में।

5. 1624 / 13.05.2023 — इ0वी0एम0 में प्रयोक्त होने वाले मतपत्रों का मुद्रण जिलास्तर पर कराये जाने के संबंध में

उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई की जाय एवं तत्संबंधी निर्देश से सभी संबंधित को भी अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

सचिव।

पटना, दिनांक — 30 **नवम्बर, 2023**

ज्ञापांक न0नि0 50—17 / 2023—4040

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर को राज्य निर्वाचन आयोग के बेवसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

सचिव।

पटना, दिनांक — 30 **नवम्बर, 2023**

ज्ञापांक न0नि0 50—17 / 2023— 4040

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

पटना, दिनांक — 30 **नवम्बर, 2023**

ज्ञापांक न0नि0 50—17 / 2023— 4040

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।